सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 114 राँची, मंगलवार

1 पौष, 1937 (श०)

22 दिसम्बर, 2015 (ई०)

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

5 नवम्बर, 2015

1. ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-1434, दिनांक 11 मार्च, .2013

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-2965, दिनांक 03 अप्रैल, 2013 एवं पत्रांक-10736, दिनांक 11 नवम्बर, 2013

3. उपायुक्त, दुमका का पत्रांक-285/गो0, दिनांक 13 फरवरी, 2015

संख्या-5/आरोप-1-671/2014 का0 9681--श्री शिव नारायण यादव, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-765/03, गृह जिला- गोड्डा), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ के पद पर कार्यावधि में ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1434, दिनांक 11 मार्च, 2013 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप प्राप्त है।

प्रपत्र- 'क' में इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गये हैः-

1. रामगढ़ प्रखण्ड में मनरेगा सहित सरकार के विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण आदि की जिम्मेवारी सौंपी गयी थी। वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में मनरेगा योजना के तहत् पंचायत शिलठा- बी, महुबना एवं पथरिया पंचायत में तत्कालीन पंचायत सेवक श्री मथियस मुर्मू को योजना के कार्यान्वयन हेतु विभागीय अभिकर्त्ता नियुक्त करते हुए एकरारनामा जारी किया गया था। श्री मथियस मुर्मू, पं0से0 को 75 योजनाओं का विभागीय रूप से क्रियान्वित करने का दायित्व सौंपा गया था। इनमें शिलठा-बी पंचायत अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों में 64 सिंचाई कूप, 2 मिट्टी मोरम पथ, 3 सिंचाई तालाब तथा 1 जमीन समतलीकरण योजना शामिल थी। मोहबना पंचायत में एक सिंचाई कूप, एक सिंचाई तालाब तथा दो वृक्षारोपन योजना था एवं पथरिया पंचायत में एक सिंचाई तालाब की योजना के कार्यान्वयन का दायित्व सौंपा गया था ।

2. योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभागीय अभिकर्त्ता श्री मथियस मुर्मू, पंचायत सेवक को आपके द्वारा नियम के विरूद्ध योजनावार अग्रिम राशि भुगतान की गई थी। उक्त 75 योजनाओं में योजनावार कुल अग्रिम मो0 44,64,802/- रूपये अभिकर्त्ता को अग्रिम स्वरूप भुगतान की गई थी । मनरेगा मार्गदर्शिका के अनुसार मनरेगा योजनाओं में अग्रिम राशि देने का प्रावधान नहीं है । इसके बावजूद योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु आपके द्वारा विभागीय अभिकर्त्ता श्री मथियस मुर्मू, पंचायत सेवक को लगातार अत्यधिक अग्रिम दिया गया था। पहला अग्रिम का समायोजन किये बिना ही उसे दूसरा अग्रिम दे दिया गया। इस तरह मनरेगा अधिनियम का उल्लंघन करते हुए वित्तीय अनियमितता बरती गई। विभागीय अभिकर्त्ता श्री मथियस मुर्मू के द्वारा इन योजनाओं के विरूद्ध ली गई अग्रिम के अनुसार कार्य नहीं कराया गया । फलस्वरूप राशि असमायोजित रह गयी। स्पष्टतः आपके द्वारा व्यक्तिगत स्वार्थ एवं अनुचित लाभ के लिए उक्त योजनाओं में अभिकर्त्ता को नियम विरूद्ध अग्रिम दिया गया। फलतः सरकारी राशि के दुरूपयोग एवं गबन के लिये आप समान रूप से जिम्मेवार हैं।

3. मनरेगा योजना के तहत् 75 योजनाओं में दिये गये कुल अग्रिम मो0 44,64,802/- रूपये के विरूद्ध अभिकर्त्ता श्री मथियस मुर्मू, तत्कालीन पंचायत सचिव, रामगढ़

के द्वारा मात्र मो0 20,77,937/- रूपये का कार्य किया गया है । इस प्रकार अभिकर्त्ता के जिम्मे कुल मो0 23,86,865/- रूपये असमायोजित लंबित पड़ा रहा । अभिकर्त्ता द्वारा राशि का न तो कोई कार्य ही किया गया और न ही राशि को सरकारी कोष में जमा ही किया गया। इसके साथ-साथ अभिकर्त्ता के विरूद्ध लंबित राशि की वसूली हेतु कोई ठोस कार्रवाई भी नहीं की गयी है ।

4. श्री यादव द्वारा श्री मुर्मू, तत्कालीन पंचायत सचिव, रामगढ़ को मनरेगा योजना के तहत् क्रियान्वित उन सभी 75 योजनाओं के क्रियान्वयन का भार दे दिया गया। एक ही समय में इतनी अधिक संख्या में एक ही व्यक्ति को अभिकर्त्ता बना कर योजनाओं के क्रियान्वयन का भार दिया जाना न तो युक्तिसंगत है और न ही नियमानुकूल। स्पष्टतः आपकी लापरवाही एवं अदूरदर्शिता के कारण योजनाओं का क्रियान्वयन लंबित रह गया और सरकारी राशि के गबन का मार्ग प्रशस्त हो गया।

5. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा-15(5)(क) एवं (घ) का उल्लंघन कर प्रखण्ड अन्तर्गत क्रियान्वित योजनाओं का शत प्रतिशत अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण नहीं किया गया है। इस अधिनियम के तहत् यह सुनिश्चित करना कि ग्राम पंचायत की अधिकारिता के भीतर सभी कार्यों की नियमित संपरीक्षा की जा रही है परन्तु ऐसा नहीं कर अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना की गयी है। स्पष्टतः क्रियान्वित योजनाओं का नियमित एवं शत प्रतिशत पर्यवेक्षण नहीं कर शिथिलता, लापरवाही एवं गैर जिम्मेदाराना कृत्य किया गया है।

6. मनरेगा, 2005 की धारा-14(5) के तहत् दिये गये दायित्वों का कुशलतापर्वूक निर्वहन नहीं किया गया है। धारा-14(5) के आलोक में कार्यक्रम पदाधिकारी इस अधिनियम के अन्तर्गत क्रियान्वित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होगें परन्तु उत्तरदायी का निर्वहन नहीं कर इसकी अवहेलना की गयी है ।

7. मनरेगा, 2005 की धारा-23(1) के आलोक में योजनाओं के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए तथा उनके व्ययन हेतु रखी गयी निधि का उचित उपयोग एवं प्रबंधन

नहीं कर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं किया गया तथा अधिनियम के इस प्रावधान का उल्लंघन किया गया है ।

8. मनरेगा मार्ग निदेर्शिका की कंडिका-2.2.2(V) के आलोक में कार्यान्वयन की निगरानी एवं जाँच नहीं कर कर्त्तव्य का पालन नहीं किया गया है ।

9. मनरेगा मार्ग निदेर्शिका की कंडिका-6.5.5 एवं 6.6 का अनुपालन नहीं किया गया और पंचायत सेवक को अभिकर्त्ता बनाकर योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अत्यधिक मात्रा में अग्रिम प्रदान कर कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गयी है ।

10. मनरेगा मार्ग निदेर्शिका की कंडिका-8.5.4 एवं 8.5.5 के आलोक में मनरेगा से संबंधित खाते के जाँच-पड़ताल के लिए सामाजिक अंकेक्षण नहीं कराया गया तथा राशि की वसूली हेतु कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गयी और कर्त्तव्य का पालन नहीं किया गया ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-2965, दिनांक 3 अप्रैल, 2013 द्वारा श्री यादव से स्पष्टीकरण की माँग की गयी तथा इसके लिए स्मारित भी किया गया। इसके अनुपालन में पत्रांक-18/आवा0, दिनांक 31 अगस्त, 2013 द्वारा अपना समर्पित स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें निम्नवत् तथ्य दिये गये हैं-

“इनके द्वारा मनरेगा योजना के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में कोई शिथिलता नहीं बरती गयी है और न ही किसी अनुचित लाभ के लिए योजना कार्यान्वयन हेतु अभिकर्त्ता को नियम विरूद्ध अग्रिम ही दी गयी है। सरकारी राशि के समायोजन अथवा दुरूपयोग के लिए सम्बन्धित पंचायत सेवक श्री मथियस मुर्मू को ही पूर्ण रूप से जिम्मेवार भी माना गया है। इसी कारण सम्बन्धित राशि की वसूली हेतु श्री मथियस मुर्मू के विरूद्ध प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ के पत्रांक-392/वि0, दिनांक 17 मार्च, 2011 द्वारा एक नीलामवाद दायर किया गया (समतुल्य राशि की वसूली हेतु), जो नीलाम पत्र पदाधिकारी, दुमका की अदालत में वाद संख्या-01/2011-12 के रूप में दर्ज और उन्हें उक्त राशि की वसूली हेतु जिम्मेवार मानते हुए समय-समय पर सूचना भी

निर्गत की जाती रही है। इनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि योजनाओं को लम्बित रखने एवं राशि की वसूली नहीं होने के कारण श्री मुर्मू को जिम्मेवार मानते हुए इनके विरूद्ध प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ के द्वारा आरोप प्रपत्र- 'क' गठित कर कार्रवाई हेतु उपायुक्त, दुमका को भेजा गया था । श्री मुर्मू के विरूद्ध दायर उक्त नीलामवाद में प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकांश राशि की वसूली भी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में उक्त राशि के गबन होने अथवा करने में इनके ऊपर संदेह अथवा आरोप का कोई कारण ही नहीं है और न ही इसके लिए वे जिम्मेवार हैं ।"

विभागीय पत्रांक-10736, दिनांक 11 नवम्बर, 2013 द्वारा श्री यादव के स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, दुमका से मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया एवं इसके लिए स्मारित भी किया गया। उपायुक्त, दुमका के पत्रांक-285/गो0, दिनांक 13 फरवरी, 2015 द्वारा श्री यादव के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उल्लेख है कि आरोपित पदाधिकारी तत्समय उचित अनुश्रवण, निगरानी नहीं करने, उक्त योजनाएँ पूर्ण नहीं होने एवं अग्रिम का समायोजन नहीं करा पाने के दोषी हैं। परन्तु आरोपित पदाधिकारी का यह स्पष्टीकरण आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है कि पंचायतों की संख्या के अनुपात में पंचायत सेवक उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में श्री मुर्मू को एक से अधिक पंचायत का प्रभार देकर कूप का निर्माण कराया गया ।

अग्रिम वसूली के संबंध में उपायुक्त, दुमका का कहना है कि नीलाम पत्र वाद संख्या-1/2011-12 में श्री मथियस मुर्मू, पंचायत सेवक से कुल अग्रिम राशि 23,86,865/- रूपये की राशि वसूली जा चुकी है। अतः श्री यादव को भविष्य में सचेत रहकर कार्य करने की चेतावनी के साथ दोष मुक्त करने की अनुशंसा उपायुक्त, दुमका द्वारा की गयी है।

श्री यादव के विरूद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण, उपायुक्त, दुमका के मंतव्य प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी । समीक्षा में पाया गया कि सरकारी राशि का गबन नहीं हुआ परन्तु आरोपित पदाधिकारी द्वारा प्रथम अग्रिम के समायोजन के बाद ही दूसरा अग्रिम दिया जाना चाहिए था ।

समीक्षोपरांत, उक्त प्रमाणित आरोपों हेतु श्री शिव नारायण यादव को 'निन्दन' का दण्ड दिया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री शिव नारायण यादव, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिलीप तिर्की,

सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 114—50 ।